Delton Cables Limited
17/4, MATHURA ROAD, FARIDABAD-121002 (HARYANA)
PHONE : 0129-4523000
E-mail: dcl@deltoncables.com Website: www.deltoncables.com
CIN : L31300DL1964PLC004255
AN ISO 9001 : 2015, ISO 14001:2015, OHSAS 18001:2007 CERTIFIED COMPANY

October 17, 2026

To,
BSE Limited
Phiroze Jeejeebhoy Towers,
Dalal Street,Mumbai – 400 001

Scrip Code: 504240

Sub: Disclosure under Regulation 30 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulation, 2015 - Submission of Copies of Newspaper Advertisement relating to Notice to Shareholders

Dear Sir/Madam,

Please find attached herewith the copies of newspaper advertisement published in Mint (English) and Haribhoomi (Hindi) on October 17, 2026 relating to the following:

a) Special window for re-lodgment of transfer request of Physical Shares; and
b) KYC updation and dematerialization of physical share certificates.

The above information will also be available on the website of the Company at www.deltoncables.com.

We request you to take the same on record.

Thanking you,

Yours faithfully

For Delton Cables Limited

JITENDER KUMAR
Digitally signed by JITENDER KUMAR
Date: 2026.10.17 13:39:37 +05'30'

Jitender Kumar
Company Secretary & General Counsel

Encl.: as above

'Easing tax costs may help attract foreign flows, but won't be enough'

Dipti Sharma
dipti.sharma@livemint.com
MUMBAI



The finance minister's remarks are a step in the right direction and raise hopes of an equilibrium between STT and capital gains tax.

INTERVIEW

The Union finance minister Nirmala Sitharaman's recent remarks raise hopes of a better balance between securities transaction tax (STT) and capital gains tax, said Nilesh Shah, managing director of Kotak Mahindra AMC in an interview with *Mint*.

Sitharaman acknowledged on 13 October the debate over long-term capital gains (LTCG) tax and STT, but did not say whether the Centre would consider changes in the upcoming budget.

While it is a major hurdle for global investors, taxation alone isn't driving outflows, Shah said. Edited excerpts:

How would a review of the taxes benefit investors and the broader economy?

STT was initially introduced in lieu of capital gains tax, but capital gains tax was later brought back and rates for both were increased. This creates a double burden for investors, who pay both STT and capital gains tax without getting credit for STT against their capital gains liability.

Foreign investors face an additional challenge. While Indian investors investing abroad may not face similar taxation, foreign investors investing in India do. Many cannot claim credit for the taxes paid here in their home countries. These tax frictions affect investment decisions.

Could a tax change help bring foreign capital back?

It would remove one of the biggest hurdles for global investors, but taxation alone isn't driving outflows. The AI trade needs to reverse for money to flow into other markets, while rising US interest rates are pushing up return expectations. Geopolitical tensions in West Asia are also raising energy costs and disrupting supply chains.If these pressures ease, reducing the tax burden could certainly encourage global investment.

> Avoid pockets where valuations are expensive and firms may struggle to meet earnings expectations
>
> **Nilesh Shah**
> Managing director of Kotak Mahindra AMC

What worries you most about the markets right now—geopolitics, interest rates or earnings growth?

There isn't one dominant worry. Several factors have come together, from oil prices and supply disruptions to rising US interest rates, the AI trade and tax-related friction. The positive is that corporate earnings growth has remained solid despite the uncertainty.

I wouldn't call this a 'Quit India' movement by global investors. We have competed with global investors for anchor allocations in initial public offerings even as they have sold in the secondary market. They are also buying in the primary market and shifting portfolios across sectors and market caps. This is more about portfolio reallocation than an exit from India.

Has the market priced in most of the bad news?

Much of what is known is already priced in at current market levels. Oil at $100-110 a barrel may be priced in, but $150 isn't. Similarly, markets may have factored in some increase in US interest rates, but not a much sharper rise.

Which sectors look attractive, and where should investors be cautious?

Avoid pockets where valuations are expensive and companies may struggle to meet earnings expectations. Remember, price is what you pay, and value is what you get.

For an extended version of this story, go to livemint.com

Yes Bank flags capital hit

The lender says the SC decision is expected to erode its CET-1 capital ratio by 250 basis points

Subhana Shaikh
subhana.shaikh@livemint.com
MUMBAI

A day after the Supreme Court quashed the March 2020 write-off of Yes Bank's ₹8,415 crore additional Tier-I (AT-1) bonds, the private lender said on Friday that the decision is expected to erode its common equity tier-I (CET-1) capital ratio by 250 basis points, including profits, as of 30 June 2026.

However, the bank's overall tier-1 capital ratio is expected to remain unchanged at 14%, it said in a statement.

CET1 capital is a bank's highest-quality, core regulatory capital that absorbs financial losses immediately when they happen without forcing the bank to cease operations. Introduced under the Basel III framework, it acts as the primary safety cushion to protect depositors and maintain financial stability.

The Supreme Court's decision brings a six-year legal battle over the bonds to a head. In 2020, the Reserve Bank of India (RBI) took control of the struggling private lender to facilitate a bailout, appointing an administrator who wrote off the bank's AT-1 bonds worth ₹8,415 crore. The Bombay high court had quashed the write-off in 2023, and the apex court on Thursday said it found no reason to reverse that.

The bank said that it was reviewing the Supreme Court's 15 October judgment and its implications, and would make suitable disclosures in due course. The bank did not specify the revised CET1 ratio following the reinstatement of the AT1 bond principal.

For the quarter ended June, the bank was well capitalized with its capital adequacy ratio at 15.1% and CET-1 ratio of 14.0%. This has come as Japan's Sumitomo Mitsui Banking Corp. (SMBC) last year bought a 24.22% stake in the Mumbai-based mid-sized bank. During the period, its net profit was ₹1,071 crore, up 34% on the year.



Yes Bank said it had access to appropriate capital-management levers and retained the flexibility to undertake additional capital actions. MINT

AT-1 BOND VERDICT

THE Supreme Court's decision brings a six-year legal battle over the bonds to a head

IN 2020, RBI took control of the struggling private lender to facilitate a bailout

AT-1 bonds of ₹8,415 crore were written down in March 2020 in connection with bank reconstruction

THE bank said it was reviewing the apex court's 15 October judgment and its implications

AT-1 bonds aggregating ₹8,415 crore, had been written down in March 2020 in connection with the reconstruction of Yes Bank.

AT-1 bonds are perpetual debt instruments that qualify as additional Tier-I capital under Basel III. These trigger points are linked to a bank's capital and earnings. If these triggers are breached, interest payments may be stopped. This situation could even lead to the conversion of the bond into equity.

The Supreme Court's Thursday order also stated that the annual coupon payments on the AT-1 bonds would remain unaffected by the outcome of the appeals and must be made in accordance with the relevant information memoranda.

The bank stated that it had access to appropriate capital-management levers and retained the flexibility to undertake additional capital actions, as considered appropriate, to pursue its growth objectives.

It also reiterated its focus on maintaining the strength of its franchise and providing consistent service and support to customers across their banking requirements.

For an extended version of this story, go to livemint.com

Cornerstone Ventures eyes $250mn third fund in 2027

Rwit Ghosh
rwit.ghosh@livemint.com
BENGALURU

Venture capital firm Cornerstone Ventures is targeting the second half of 2027 to launch its third fund, potentially raising up to $250 million as it looks to increase investments in deeptech and artificial intelligence (AI).

The Mumbai-based company is also looking to exercise the greenshoe option on its second fund, Abhishek Prasad, managing partner at Cornerstone told *Mint* in an interview.

"We are going to wait out for some of these results from fund two. Because fund two will most likely wrap up by the end of this year or a few months into next year," said Prasad.

The plan to raise a larger fund shows how venture capital firms in India are eyeing larger investment vehicles that can write bigger cheques for portfolio companies. Cornerstone is considering a Fund III that could be about $50 million larger than its second fund, with $250 million as the upper limit. The firm expects to limit the portfolio to no more than 20 startups, allowing it to remain closely involved with its investments. "We don't want to keep going crazy saying, add more money because the more money, the harder it is to multiply," said Prasad, referring to generating returns for limited partners.

Deeptech bets have traditionally been a smaller pool of the firm's investments. Just six out of 21 from the $50 million Fund I, and about 10-15% of the $150 million Fund II. On the early-stage front, the firm's allocation to deep tech will remain between 10% and 20%, similar to the second fund.

It will retain its traditional B2B focus but plans to increase its exposure to higher-risk, transformative technologies.

For an extended version of this story, go to livemint.com

www.dlf.in

DLF

EXTRACT OF UN-AUDITED CONSOLIDATED FINANCIAL RESULTS FOR THE QUARTER AND HALF YEAR ENDED 30 SEPTEMBER 2026

(₹ in crores unless otherwise stated)

Sl. No.	Particulars	Quarter Ended			Half Year Ended		Year Ended
		30.09.2026 (Unaudited)	30.06.2026 (Unaudited)	30.09.2025 (Unaudited)	30.09.2026 (Unaudited)	30.09.2025 (Unaudited)	31.03.2026 (Audited)
1.	Total income	2,297.30	1,605.56	2,261.80	3,902.86	5,242.68	9,816.04
2.	Net profit for the period/ year [before tax, exceptional items and share of profit in associates and joint ventures (net)]	1,003.32	422.76	809.66	1,424.08	1,324.96	2,728.90
3.	Net profit for the period/ year [before tax, share of profit in associates and joint ventures (net) and after exceptional items]	1,003.32	422.76	1,044.85	1,424.08	1,560.15	2,931.82
4.	Net profit for the period/ year [after tax, share of profit in associates and joint ventures (net)]	1,301.35	793.90	1,180.09	2,095.25	1,942.76	4,414.68
5.	Total comprehensive income for the period/ year	1,300.77	793.52	1,171.05	2,094.29	1,937.07	4,408.34
6.	Paid up equity share capital (face value of ₹ 2/- per share)	495.06	495.06	495.06	495.06	495.06	495.06
7.	Other equity	–	–	–	–	–	44,978.31
8.	Earnings Per Share (face value of ₹ 2/- per share) (not annualised)						
	i) Basic (₹)	5.25	3.21	4.77	8.46	7.85	17.83
	ii) Diluted (₹)	5.25	3.21	4.77	8.46	7.85	17.83

1. The above consolidated financial results of DLF Limited ("the Company"), its subsidiaries, partnership firms (together referred as "the Group") and its joint ventures, joint operations and associates have been reviewed by the Audit Committee and approved by the Board of Directors at its meeting held on 16 October 2026. The Statutory Auditors have carried out Limited Review of above consolidated financial results of the Group.
2. These consolidated financial results have been prepared in accordance with the recognition and measurement principles of Indian Accounting Standards (Ind AS) as notified under Section 133 of the Companies Act, 2013 read with the Companies (Indian Accounting Standards) Rules, 2015, as amended. The said consolidated financial results represent the results of the Company, its subsidiaries, partnership firms (together referred as "the Group"), its joint operations and its share in the results of joint ventures and associates which have been prepared in accordance with the Ind AS-110 – 'Consolidated Financial Statement' and Ind AS-28 – 'Investment in Associates and Joint Ventures'.
3. The standalone financial results of the Company for the quarter and half year ended 30 September 2026 are available on the Company's Website at **https://www.dlf.in/investor.php.**

Key standalone financial information is given below:

(₹ in crores unless otherwise stated)

Sl. No.	Particulars	Quarter Ended			Half Year Ended		Year Ended
		30.09.2026 (Unaudited)	30.06.2026 (Unaudited)	30.09.2025 (Unaudited)	30.09.2026 (Unaudited)	30.09.2025 (Unaudited)	31.03.2026 (Audited)
1.	Total income	1,386.19	479.61	1,582.39	1,865.80	2,193.39	6,739.74
2.	Profit before exceptional items and tax for the period/ year	824.35	87.23	983.35	911.58	1,031.93	4,276.29
3.	Profit before tax for the period/ year	824.35	87.23	1,218.54	911.58	1,267.12	4,490.74
4.	Net profit for the period/ year	800.32	65.34	1,012.51	865.66	1,051.91	3,747.91
5.	Other comprehensive income/ (loss) for the period/ year	1.39	(0.94)	(5.18)	0.45	(5.29)	(3.74)
6.	Total comprehensive income for the period/ year	801.71	64.40	1,007.33	866.11	1,046.62	3,744.17
7.	Paid up equity share capital (face value of ₹ 2/- per share)	495.06	495.06	495.06	495.06	495.06	495.06
8.	Other equity	–	–	–	–	–	31,092.72
9.	Earnings Per Share (face value of ₹ 2/- per share) (not annualised)						
	i) Basic (₹)	3.24	0.26	4.09	3.50	4.25	15.14
	ii) Diluted (₹)	3.24	0.26	4.09	3.50	4.25	15.14

The above is an extract of the detailed format of quarter and half year ended Financial Results filed with the Stock Exchanges under Regulation 33 of the Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015. The full format of the quarter and half year ended Financial Results are available on the Stock Exchanges' websites at **www.bseindia.com/ www.nseindia.com** and on Company's website at **https://www.dlf.in/investor.php**. and can also be accessed by scanning the below QR Code:

On behalf of the Board of Directors

Place: Gurugram
Date: 16 October 2026

Devinder Singh
Managing Director

Ashok Kumar Tyagi
Managing Director

DLF Limited
Regd. Office: Shopping Mall, 3rd Floor, Arjun Marg, DLF City, Phase I, Gurugram - 122 002 (Haryana) India
CIN – L70101HR1963PLC002484, Website: **www.dlf.in**, Tel.: +91-124-4334200, E-mail: **investor-relations@dlf.in**

Dudhsagar Dairy
Mehsana District Co-operative Milk Producers' Union Ltd
Post Box No.1, Highway, Mehsana-384002 Phone.:02762-253201

E-Tender Notice

Tender ID:354805,354806,354808,354827

For further details refer our website **https://www.dudhsagardairy.coop/tenders/** and on E-Tender Website : **https://tender.nprocure.com/**
Date: 17.10.2026 I/C Managing Director

NEW DELHI MUNICIPAL COUNCIL
ESTATE-I DEPARTMENT
PALIKA KENDRA : NEW DELHI

ALLOTMENT OF VACANT SPACES TO GOVERNMENT DEPARTMENTS/PSUs

NDMC has launched its new online portal for application/allotment of vacant spaces/premises to **Government Departments/PSUs**. Interested Government Departments/PSUs may visit the NDMC e-Services Portal for details and online services: **https://eservices.ndmc.gov.in/ec_portal/**. For further details, please visit the official NDMC website. Further the status of vacant space is also available on this portal.

The Director, Estate-I,
Room No. 1513-14, 15th Floor, New Delhi
Municipal Council, Palika Kendra, New Delhi
E-mail: **director/estate@ndmc.gov.in**
Jt. Director (Estate-I)

EASTERN RAILWAY

e-Tender Notice No. : ELD-300-WC-23-2026-27, dated 15.10.2026. e-Tender is invited by the Sr. Divisional Electrical Engineer/TRD, Sealdah, Eastern Railway, Control Building, 1st Floor, DRM office, Kaiser Street, Sealdah, Kolkata-700014 for the following work : **Tender No. : ELD-300-WC-23-2026-27. Name of Work:** 25 KV OHE & allied works in connection with "Developmental Works at Ranaghat and Balanced Development works at Sealdah, Shantipur, Krishnanagar, Bethuadahari, Berhampur Court, Sonarpur, Canning, Naihati, Kalyani, Kalyani Ghoshpara, Dum-Dum Junction, Barrackpore, Chandpara, Bangaon and Gede Stations under Amrit Bharat Station Scheme in Sealdah Division of Eastern Railway". **Tender value :** ₹ 1,80,84,631/-. **Earnest Money :** ₹ 3,61,700/-. **Cost of Tender Document:** Nil. **Completion Period :** 12 (Twelve) months from the date of issue of Letter of Acceptance. **Date of closing :** 10.11.2026 at 15.00 hrs. Details of tender notice and corrigendum issued from time to time are available at website **www.ireps.gov.in**
(SDAH-267/2026-27)
Tender Notice is also available at websites : www.er.indianrailways.gov.in / www.ireps.gov.in
Follow us at : @EasternRailway @easternrailwayheadquarter

केन्द्रीय भण्डारण निगम
(एक नवरत्न सीपीएसई)
CENTRAL WAREHOUSING CORPORATION
(A NAVRATNA CPSE)

Start Date: 17.10.2026 at 00:00 Hrs **End Date: 15.11.2026 at 23:59 Hrs**

Advertisement No CWC/I-Manpower/DR/Rectt/2026/01

Central Warehousing Corporation, a "Navratna" Central Public Sector Undertaking under the administrative control of Ministry of Consumer Affairs, Food & Public Distribution, providing scientific storage facilities for agricultural inputs, produce and other notified commodities besides providing logistics infrastructure like CFSs/ICDs, Land Custom Stations, Air Cargo Complexes etc. for import-export cargo, invites online application from eligible candidates (Male/Female/Transgender) for the following posts:

Post Code	Name of the Post	No. of Vacancies
01	Assistant Manager (General)	70
02	Assistant Manager (Technical)	60
03	Assistant Manager (Finance)	10
04	Assistant Manager (Engineering)- Civil	22
05	Assistant Manager (Engineering)- Electrical	05
06	Assistant Manager (Engineering)- Mechanical	04
07	Junior Executive (General)	78
08	Junior Executive (Technical)	78

Please visit CWC's Website (www.cewacor.nic.in/ https://cwceportal.com/cwc_careers.html) or scan the QR code for detailed information on eligibility criteria including qualification and experience, selection process, general conditions etc. from **17.10.2026** onwards. Eligible candidates have to apply online through CWC's Website www.cewacor.nic.in/ https://cwceportal.com/cwc_careers.html which will start from **17.10.2026 at 00:00 Hrs** and will end on **15.11.2026 at 23:59 Hrs.** No other mode of application shall be accepted.

यमुना एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण
प्रथम तल, कॉमर्शियल कॉम्प्लेक्स, ओमेगा–1, (पी–2), ग्रेटर नौएडा
Toll Free No. 18001808296 वेबसाइट: www.yamunaexpresswayauthority.com

पत्रांक: वाई.ई.आई.डी.ए./संस्थागत/1016/2026 दिनांक: 16.10.2026

सार्वजनिक सूचना

यमुना एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण क्षेत्र में संस्थागत भूखण्डो Corporate Office के आवंटन हेतु योजनाः YEA/INST 2026-27/01 दिनांक 16.09.2026 से प्रारम्भ की गयी थी, जिसमें आवेदन की अन्तिम तिथि 16.10.2026 थी, प्रश्नगत निविदाओं में प्रतिभाग करने की तिथियों में निम्नानुसार विस्तार किया जाता हैः–

Date of Closing : 16-11-2026 (05:00 PM)
Date & Timing for Display of Name of Qualified/Disqualified Bidder : 16-12-2026 (05:00 PM)
Date & Time of E-Auction : 22-12-2026 (11:00 AM to till end)

उप जिलाधिकारी (एच/संस्थागत)
यमुना एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण

महत्वपूर्ण सूचना : यमुना एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण के अधिसूचित क्षेत्र में प्राधिकरण द्वारा स्वीकृत मास्टर प्लॉन के अतिरिक्त प्लॉटिंग / हाउसिंग / कॉलोनी या किसी भी प्रकार का अन्य निर्माण पूरी तरह से अवैद्य है। सामान्यजन इस प्रकार की खरीदफरोख्त से पूर्णतः सचेत रहें तथा कॉलोनाइज़र के भ्रामक विज्ञापनों से बचें। अधिक जानकारी के लिए प्राधिकरण की वेबसाइट **www.yamunaexpresswayauthority.com** देखें।

यमुना एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण
प्रथम तल, कॉमर्शियल कॉम्प्लेक्स, ओमेगा–1, (पी–2), ग्रेटर नौएडा
Toll Free No. 18001808296 वेबसाइट: www.yamunaexpresswayauthority.com

पत्रांक: वाई.ई.आई.डी.ए/संस्थागत/1015/2026 दिनांक: 16.10.2026

सार्वजनिक सूचना

यमुना एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण क्षेत्र में संस्थागत भूखण्डो Senior Secondary School के आवंटन हेतु योजनाः YEA/INST 2026-27/02 दिनांक **16.09.2026** से प्रारम्भ की गयी थी, जिसमें आवेदन की अन्तिम तिथि **16.10.2026** थी, प्रश्नगत निविदाओं में प्रतिभाग करने की तिथियों में निम्नानुसार विस्तार किया जाता हैं :–

Date of Closing : 16-11-2026 (05:00 PM)
Date & Timing for Display of Name of Qualified/Disqualified Bidder : 16-12-2026 (05:00 PM)
Date & Time of E-Auction : 22-12-2026 (11:00 AM to till end)

उप जिलाधिकारी (एच/संस्थागत)
यमुना एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण

महत्वपूर्ण सूचना : यमुना एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण के अधिसूचित क्षेत्र में प्राधिकरण द्वारा स्वीकृत मास्टर प्लॉन के अतिरिक्त प्लॉटिंग / हाउसिंग / कॉलोनी या किसी भी प्रकार का अन्य निर्माण पूरी तरह से अवैद्य है। सामान्यजन इस प्रकार की खरीदफरोख्त से पूर्णतः सचेत रहें तथा कॉलोनाइज़र के भ्रामक विज्ञापनों से बचें। अधिक जानकारी के लिए प्राधिकरण की वेबसाइट **www.yamunaexpresswayauthority.com** देखें।

Delton Cables Limited

Regd. Office: Delton House, 4801, Bharat Ram Road, 24, Daryaganj, New Delhi – 110002
CIN: L31300DL1964PLC004255 **Website:** www.deltoncables.com, **E-mail:** secretarial@deltoncables.com **Phone No.:** 0129-4523000

SPECIAL WINDOW FOR RE-LODGEMENT OF TRANSFER REQUESTS OF PHYSICAL SHARES

Pursuant to SEBI Master Circular No. HO/38/13/(4)2026-MIRSD-POD/I/4298/2026 dated February 06, 2026, and in continuation of the earlier newspaper advertisements published by the Company, the shareholders of the Company are hereby informed that a special window will remain open for the transfer and dematerialisation of physical securities that were sold or purchased prior to April 01, 2019 for a period of one year from February 5, 2026 to February 4, 2027.

This special window shall also be available for re-lodgement of transfer deeds that were originally lodged prior to April 1, 2019 but were rejected, returned, or remained unattended due to documentation or procedural deficiencies or otherwise.

All securities processed under this window shall be issued only in dematerialised form and will be subject to a mandatory lock in period of one year from the date of registration of transfer, during which such securities shall not be transferred, lien marked, or pledged in accordance with applicable SEBI regulations.

Please note that:

- Disputed cases between transferor and transferee are not eligible and must be resolved through appropriate judicial forums such as Courts/NCLT.
- Securities already transferred to the Investor Education and Protection Fund ("IEPF") are not eligible for processing under this facility.

Shareholders are advised to contact the Company's Registrar & Transfer Agent ("RTA"), Beetal Financial & Computer Services (P) Ltd. (contact details as mentioned below), for guidance on documentation and submission procedures.

KYC UPDATION AND DEMATERIALISATION OF PHYSICAL SHARE CERTIFICATES

Shareholders holding shares in physical form are also requested to update their KYC details including PAN, Demat Account Number, Bank Account Number, E-mail ID, Mobile Number, and Nominee information, using the KYC forms available at www.deltoncables.com. Please submit the duly filled and signed documents/details mentioned below to the RTA for the updation of your KYC and nomination details against your folio.

- Form ISR-1: Filled and signed, with self-attested KYC documents;
- Form ISR-2: Filled and signed, with banker's attestation of your signature original cancelled cheque;
- Form SH-13: For adding a nominee; or Form ISR-3: If you wish to opt out of nomination.

Shareholders are further advised to dematerialize their shares held in physical form since the transfer of shares held in physical mode has been discontinued. For assistance, Shareholders may contact the Company's Registrar and Transfer Agent Beetal Financial & Computer Services (P) Ltd., Beetal House, 3rd Floor, 99, Madangir, Behind Local Shopping Centre, Near Dada Harsukhdas Mandir, New Delhi-110062 via email at beetalrta@gmail.com or the Company at secretarial@deltoncables.com.

For Delton Cables Limited
Sd/-
Jitender Kumar
Company Secretary & General Counsel
Membership No.:A30349

Date : October 16, 2026
Place : Faridabad

हिरासत से पहले थमाया गया था नोटिस, प्रदर्शन करने पर लगाई गई थी पाबंदी

पुलिस ने तिरंगा मार्च से पहले ही दीपके और नेहा बोरा को हिरासत में लिया

हरिभूमि न्यूज ⏭ नई दिल्ली

कनॉट प्लेस के सेंट्रल पार्क में तिरंगा मार्च में शामिल होने से पहले ही शुक्रवार शाम अभिजीत दीपके और नेहा बोरा को दिल्ली पुलिस द्वारा हिरासत में ले लिया गया। इसके पहले दिन में पुलिस के 20 से अधिक कर्मचारी अभिजीत दीपके के आवास पर पहुंचे और प्रदर्शन नहीं करने को लेकर नोटिस थमाया। इसके बावजूद भी दीपके मार्च में शामिल होने का प्रयास कर रहे थे। नेहा बोरा को मंडी हाउस इलाके से हिरासत में लिया गया और आगे जाने की अनुमति नहीं दी गई।

पुलिस अधिकारियों के अनुसार दीपके को नोटिस में कनॉट प्लेस में निषेधाज्ञा लागू होने, इस क्षेत्र में महत्वपूर्ण बाजार, अस्पताल और अहम सरकारी इमारतें होने के साथ-साथ भगदड़ मचने की आशंका का हवाला दिया गया था। सीजेपी ने शुक्रवार शाम पांच बजे कनॉट प्लेस स्थित सेंट्रल पार्क में 'लहरा दो तिरंगा' मार्च का आह्वान किया था। हालांकि नई दिल्ली नगर पालिका परिषद (एनडीएमसी) ने 16 और 17 अक्टूबर के लिए सेंट्रल पार्क सुबह ही बंद कर दिया था। पुलिस और सिविक एजेंसी हर



हाल में इस मार्च को निकालने की अनुमति देने के मूड में नहीं थी। उधर आप ने कनॉट प्लेस के इनर सर्कल में तिरंगा मार्च निकाला। मार्च में सैंकड़ों नेता व कार्यकर्ता शामिल हुये।

आप का दावा, लहराया 270 फीट लंबा तिरंगा



नई दिल्ली। दिल्ली प्रदेश आप आजकी पार्टी का दावा है कि सरकार की लगातार पार्षदों के साथ 270 फीट लंबा तिरंगा लहरा दिया। प्रदेश अध्यक्ष सौरभ भारद्वाज ने दावा किया कि हजारों नेताओं व कार्यकर्ताओं ने मिलकर 270 फीट लंबा तिरंगा लहरा दिया लेकिन मौके पर्याप्त पुलिस तैनात थी वो तिरंगा हवा में नहीं लहरा सके। भारद्वाज ने कहा कि वह खाली दिहाड़ी नहीं, बीते जन्माष्टमी लेकिन अब तारीख अतिरिक्त कुछ तरह से उसे वहां ठहरनाहै। उन्होंने कहा कि लोगों ने सरकार किसी को तिरंगा फहराने से नहीं रोक सकते हैं। भारद्वाज ने कहा कि सरकार को सरकार इस मामले को लेकर कोर्ट में भी गई थी कि लोग झंडा नहीं फहरा सकते, लेकिन कोर्ट ने आदेश दिया कि झंडे हम कब कर सकते हैं। इसके बाद पुलिस कह रही है कि हम दरवाजे खोल और सेंट्रल पार्क बंद कर देंगे। ऐसा सिर्फ इसलिए किया जाता क्योंकि वृद्ध झंडा फहरा रहे हैं। यह बहुत छोटे दिल और छोटी सोच की सरकार है। सरकार डराई हुई है। दरवाजे पर्याप्त में गाड़ियों खींचने के दौरान व्यापारियों और विक्रेताओं के कुछ लोगों ने भारद्वाज से कहा कि दिल्ली वार की सरकार से तो सभी खुशी थे लेकिन अब सरकार को डर है कि जो कुछ जाते हैं, वे सीधे के रेस्टोरेंट में खाना खाते हैं, जिससे उनकी सेल 5 से 10 करोड़ कम हो जाती है। सरकार से ही व्यापारियों के पेट पर लात मारी है। सरकार को इस बात से अलग है कि देश का खुश जा रहा है। सरकार से ही सभी रेस्टोरेंट बंद करवा दें। इस मौके पर विधायक सौरभ डा. तुरन्तवीर कुमार सहित अन्य मौजूद थे।

'पुलिस के कड़े पहरे ने सीजेपी का तिरंगा मार्च किया फ्लॉप'

सीजेपी का 'लहरा दो तिरंगा' मार्च दिल्ली पुलिस द्वारा फ्लॉप कर दिया गया। नई दिल्ली क्षेत्र में पुलिस का कड़ा पहरा देखने को मिला। छह हजार से अधिक दिल्ली पुलिस कर्मियों, केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों (सीएपीएफ) तो 220 कंपनियों को इलाके में तैनात किया गया था। ट्रांसपोर्ट-व्यवस्था को किसी भी स्थिति को रोकने के लिए सभी कनॉट प्लेस, राजीव चौक, सेंट्रल पार्क, जंतर-मंतर, पहाड़गंज बाजार, पास के बड़े स्टेशनों और ट्रांसपोर्ट दिल्ली के अन्य संवेदनशील स्थानों तो दिहाड़ी शुरुआ होने से पहले बंद कर दिया गया। पुलिस ने कनॉट प्लेस, प्रदेश चौक, आईटीओ और जरूरत मार्ग सहित कई चिह्नित जगहों पर बैरिकेड भी लगाए थे। दिन के अन्य अधिकारियों ने कहा कि अगर ऐसा संवेदनशील आपकारी को रोका फिर किसी इस पहिलीराज क्षेत्र के कई प्रदेश और विधायक चिह्नित तो उसे गुरुकिला तारने पर उकसा है।

हत्या की साजिश नाकाम दो बदमाश गिरफ्तार

हरिभूमि न्यूज ⏭ नई दिल्ली



आउटर नॉर्थ डिस्ट्रिक्ट की एएटीएस ने गैंग से जुड़ी हत्या की साजिश को नाकाम किया है। इस सिलसिले में दो बदमाशों को दो अवैध पिस्तौल और पांच कारतूसों के साथ गिरफ्तार किया गया। इनके नाम वेगेश और राजेश बताये गये हैं। दोनों नरेला और रोहिणी सेक्टर 20 के रहने वाले हैं।

पुलिस के अनुसार हाल ही में मुखबिर से पूछता जानकारी मिली थी कि टिल्लू ताजपुरिया गैंग का बदमाश योगेश (26) हाल ही में जेल से छूटा है। वह होलंबी रोड (नया बांस) स्थित एक स्कूल के पास अवैध हथियार लेकर आएगा। उसका इरादा विरोधी गैंग के एक बदमाश को निपटाना है, जो हाल ही में जमानत पर जेल से बाहर आया था। यह जानकारी वरिष्ठ अधिकारियों के साथ साझा की गई और उनके निर्देशों पर एक विशेष रेडिंग टीम का गठन किया गया। एएटीएस इंस्पेक्टर आनंद कुमार झा के नेतृत्व वाली टीम ने संदिग्ध पर नजर रखी। उसके भागने के सभी रास्तों को कवर किया गया। मुखबिर से पुष्टि होने के बाद एक संदिग्ध व्यक्ति को पकड़कर पूछताछ की गई। पकड़े गए व्यक्ति की पहचान राजवीर के बेटे योगेश (26) निवासी नरेला के रूप में हुई। तलाशी में उसके लोअर की दाहिनी जेब से एक अवैध पिस्तौल बरामद हुई। इसकी मैगजीन में 7.65 एमएम कैलिबर के पांच जिंदा कारतूस थे। आरोपी से लगातार पूछताछ के दौरान यह खुलासा हुआ कि लगभग एक हफ्ते पहले, उसने शाहबाद डेयरी में अपने साथी राजेश को एक और हथियार दिया था। उसने यह भी बताया कि यह हथियार रोहिणी में राजेश के घर पर छिपाकर रखा गया था। इस जानकारी पर तुरंत कार्रवाई करते हुए रोहिणी सेक्टर 20 में छापा मारा गया। रामलाल का 26 वर्षीय बेटा राजेश मौके पर मौजूद मिला। घर की अच्छी तरह तलाशी लेने पर पुलिस टीम को तीसरी मंजिल पर रखे एक लकड़ी के बेड की दराज में छिपाकर रखी गई एक देसी पिस्तौल मिली। इसके बाद राजेश को भी गिरफ्तार कर लिया गया। बरामद किए गए हथियारों के स्रोत और सप्लाई चेन का पता लगाने, संभावित लक्ष्य की पुष्टि करने, गिरोहों के बीच आपसी रंजिश से जुड़ी परिस्थितियों की जांच करने और अन्य साथियों की संलिप्तता का पता लगाने के लिए आगे की कार्रवाई जारी है।

करोड़ों रुपए काटने के बाद भी निगम कर्मचारियों को नहीं मिल रही कैशलेस चिकित्सा सुविधा

स्वास्थ्यवार्ता ⏭ नई दिल्ली



■ पैनल से अलग अस्पताल हटाने को लेकर भी नाराजगी, कार्ड बनाने की प्रक्रिया ही लटकी अधर में

दिल्ली नगर निगम कैशलेस चिकित्सा सुविधा के नाम पर अपने अधिकारियों कर्मचारियों के वेतन से हर महीने 400-1000 रुपए तक काट रही है। लेकिन लगभग एक साल बाद भी निगम अपने अधिकारियों कर्मचारियों को कैशलेस चिकित्सा की बेहतरीन सुविधा देने में बुरी तरह विफल साबित हो रहा है। कैशलेस चिकित्सा नहीं मिलने से हजारों अधिकारियों कर्मचारियों में अंदरखाने भारी रोष व्याप्त है। वहीं कैशलेस योजना के तहत जिन अस्पतालों को शामिल किया गया है उनको लेकर भी अधिकारी कर्मचारी संतुष्ट नहीं हैं।

बेसिक मेडिकल की सुविधा तो मिल रही है, लेकिन कैशलेस इलाज नहीं मिल रहा है। इस मुद्दे पर निगम के सूचना एवं प्रचार निदेशक व प्रवक्ता कर्नल विनोद अत्री ने बताया कि योजना में पुराने अस्पतालों के करीब 215 अस्पतालों से ज्यादा अस्पतालों को सूचीबद्ध किया गया है। निगम, योजना में नये अस्पतालों को भी समाहित कर रहा है। कर्नल अत्री ने बताया कि कैशलेश स्वास्थ्य उपचार का दायरा बढ़ाया जा रहा है। कर्मचारियों को जल्द ही कैशलेस उपचार की सुविधा मिलनी शुरू हो जाएगी। वहीं स्थायी समिति अध्यक्ष सत्या शर्मा ने भी मामले की गंभीरता को लेकर जल्द योजना को शुरू कराने की बात कही है। हास्यास्पद है कि जहां एक साल बाद भी निगम कर्मचारियों को कैशलेस मेडिकल की सुविधा क्यों नहीं दी जा रही। महापौर ने इसे गंभीरतापूर्वक हल करने के निर्देश दिए। प्रतिनिधिमंडल से मुलाकात के समय महापौर वाही ने माना कि जब अधिकारियों कर्मचारियों के हर माह पैसे काटे जा रहे है तो उन्हें कैशलेस सुविधा क्यों नहीं दी जा रही। महापौर ने प्रतिनिधिमंडल को भरोसा दिया कि इस मामले पर पूरी गंभीरता से ध्यान दिया जाएगा। वैद्य का आरोप है कि पैनल से सभी अच्छे अस्पताल भी हटा दिए गए है।

सनद रहे कि करीब 11 माह बाद भी निगम कैशलेस उपचार सुविधा के लिए अस्पतालों की सूची और एमसीडी के निर्यामित कर्मचारियों के लिए पोर्टल के माध्यम से आश्रितों के सत्यापन और एमसीडीईएचएस कार्ड के निर्माण की प्रक्रिया में ही फंसा हुआ है। आपको बता दें कि एमसीडी ने दिसंबर, 2025 में कैशलेस उपचार योजना लागू की थी। इस योजना के तहत दिसंबर माह की तनख्वाह को जनवरी, 2026 से काटना शुरू किया था। करीब एक साल होने को है निगम के हजारों कर्मचारियों को कैशलेस उपचार के नाम पर सिर्फ झुनझुना थमाया गया है। योजना के तहत 7वें वेतन आयोग की सिफारिशों के अनुसार वेतन मैट्रिक्स से संबंधित पे-लेवल 1 से 5 के हजारों कर्मचारियों से 250 रुपये प्रतिमाह, पे-लेवल-6 के कर्मचारियों से 450 रुपये प्रतिमाह, पे-लेवल 7 से 11 स्तर के कर्मचारियों से 650 रुपये प्रतिमाह और पे-लेवल-12 से ऊपर के अधिकारियों से प्रतिमाह एक हजार रुपये उनकी तनख्वाह से काटे जा रहे है। कर्मचारियों में इस बात को लेकर रोष ज्यादा है कि एक दो अस्पताल को छोड़ दिया जाए तो अधिकतर अस्पताल लोकल स्तर के है। इन अस्पतालों में कर्मचारी इलाज कराने को तैयार नहीं है। जबकि निगम का कहना है कि योजना में समय-समय पर बदलाव होता रहता है जो सामान्य प्रक्रिया का हिस्सा है।

मालवीय नगर होटल अग्निकांड

अदालत ने संपत्ति मालिक की अंतरिम जमानत बढ़ाई

एजेंसी ⏭ नई दिल्ली

दिल्ली उच्च न्यायालय ने मालवीय नगर स्थित एक होटल में आग लगने से 23 लोगों की मौत के मामले में गिरफ्तार होटल मालिक की अंतरिम जमानत चिकित्सकीय आधार पर छह सप्ताह के लिए बढ़ा दी है। न्यायमूर्ति सचिन दत्ता, जिन्होंने पहले चार सप्ताह के लिए अंतरिम जमानत दी थी, ने लक्केश बजाज की चिकित्सकीय रिपोर्ट और ऑपरेशन के बाद की जटिलताओं पर विचार करते हुए चिकित्सकीय आधार पर यह राहत दी है।

बजाज (59) को 31 अगस्त को पेट की एक सर्जरी हुई थी और उन्हें 15 सितंबर को ही अस्पताल से छुट्टी दी गई थी, लेकिन अक्टूबर में उन्हें दोबारा अस्पताल में भर्ती कराया गया। अदालत ने वकीलों द्वारा करने के लिए सर्वतंत्र होगा। अदालत ने बजाज को वही हुई अंतरिम जमानत की अवधि समाप्त होने पर कारागार अधीक्षक के समक्ष आत्मसमर्पण करने का निर्देश दिया।

जटिलताओं और चिकित्सकीय रिपोर्ट को ध्यान में रखते हुए आवेदक/याचिकाकार्ता को 21 सितंबर 2026 के आदेश द्वारा दी गई अंतरिम जमानत की अवधि इसकी समाप्ति की तारीख से छह सप्ताह के लिए बढ़ाई जाती है।

अदालत ने मामले के जांच अधिकारी को आरोपी द्वारा प्रस्तुत चिकित्सकीय दस्तावेजों को सत्यापित करने का निर्देश दिया और स्पष्ट किया कि यदि कोई भी दस्तावेज फर्जी पाया जाता है या उसकी (आरोपी) स्थिति को गलत तरीके से पेश किया गया पाया जाता है, तो राज्य (अभियोजन पक्ष) अंतरिम जमानत रद्द करने की मांग के लिए आवेदन दायर करने के लिए स्वतंत्र होगा। अदालत ने बजाज को वही हुई अंतरिम जमानत की अवधि समाप्त होने पर कारागार अधीक्षक के समक्ष आत्मसमर्पण करने का निर्देश दिया।

सीलमपुर पुलिस ने हत्या का मामला सुलझाया, एक आरोपी गिरफ्तार

नई दिल्ली। उत्तर पूर्वी जिले की सीलमपुर पुलिस ने 14 अक्टूबर की रात लगभग आधे सप्ताह तीन तो सुलझाने का दावा किया है। इस सिलसिले में एक आरोपी को गिरफ्तार किया गया है। पहले वाले आरोपी का नाम अरुमान खान (30) बताया गया। वह न्यू सीलमपुर, के. ब्लॉक का रहने वाला है। पिता अजमल अलिक का देहात हो चुका है। पुलिस के अनुसार बुधवार रात लगभग 9 बजकर 4 मिनट पर सीलमपुर थाने को जीटीबी अस्पताल से सूचना मिली कि मौती लाकर ले जाया गया व्यक्ति को अस्पताल लाया गया था। डॉक्टरों ने उसे अस्पताल पहुंचने पर मृत घोषित कर दिया। मृतक की पहचान वसीम (32) के रूप में हुई। वह न्यू सीलमपुर, ई-ब्लॉक का निवासी है। वह ई-रिक्शा चलाता था। वसीम के भाई शाहनवाज ने पुलिस को बताया कि उसका भाई वसीम, अपने दोस्त अरमान के साथ बाइक पर सीलमपुर से गुजर रहा था। तभी अरमान ने उसे रोका और उसके साथ मारपीट की। इसके बाद अरमान ने वसीम के पेट पर चाकू से वार कर दिया। घायल वसीम को उसके दोस्त ही अस्पताल ले गए थे। पुलिस टीम ने कई कैमरों की सीसीटीवी फुटेज खंगाली और अलग-अलग सोर्सों से सूचियां जमकरारी जुटाईं। लगातार प्रयासों और तकनीकी विश्लेषण के बाद अरमान को पकड़ लिया। उस पर पहले भी लूट का मामला दर्ज था। पुलिस को उम्मीद है कि घटना में शामिल अन्य लोगों के बारे में भी जल्द सुराग मिलेंगे और उन्हें पकड़ने की कोशिशें जारी हैं।

नेहरू प्लेस में कई कार्यालयों में लगी आग, कोई हताहत नहीं

नई दिल्ली। नेहरू प्लेस इलाके में शुक्रवार को कई कार्यालयों में आग लग गई। दमकल विभाग को आठ गाड़ियों को मौके पर भेजा गया। इस घटना में किसी के हताहत होने की सूचना नहीं मिली है। पुलिस के अनुसार सुबह करीब 10:30 बजे कालकाजी में स्थित खिदमत रेस्तरां में आग लगने की सूचना मिली थी, जिसके बाद दमकल की तीन गाड़ियों के साथ एक टीम को मौके पर भेजा गया। मौके पर जा कर पता चला कि आग खिदमत रेस्तरां के पास इमारत की दूसरी मंजिल पर कार्यालयों में लगी थी। अधिकारी ने बताया कि मौके पर मौजूद टीम ने सुबह 11:15 बजे दमकल को और गाड़ियों को मांग की, इसके बाद पांच अतिरिक्त गाड़ियों को घटनास्थल पर भेजा गया। सुबह करीब 11:30 बजे तक आग पर काबू पा लिया और बाद में स्थान को ठंडा करने का काम किया गया। आग लगने के कारणों की जांच की जा रही है।

अभियुक्त व्यक्ति की हाजिरी की अपेक्षा करने वाली उद्घोषणा

धारा 82 Cr.P.C. देखिए

मेरे समक्ष परिवाद किया गया है कि अभियुक्त **संदीप उर्फ सोनू**, पुत्र: **हरि चंद**, पता: म.नं. **120, गुलाबी चौक**, आटा मिल के पास, गांव **इस्सापुर, दिल्ली** ने **FIR No. 98/2019, U/s 25/27 A.Act & 506 IPC**, पुलिस थाना **जाफरपुर कलां, नई दिल्ली** के अधीन दंडनीय अपराध किया है (या संदेह है कि उसने किया है) और उस पर जारी किये गए गिरफ्तारी के वारंट को यह लिख कर लौटा दिया गया है कि उक्त **संदीप उर्फ सोनू** मिल नहीं रहा है और मुझे समाधानप्रद रूप में यर्तित कर लिया गया है कि उक्त **संदीप उर्फ सोनू** फरार हो गया है (या उक्त वारंट कि तामील से बचने के लिए अपने आप को छिपा रही हैं)।

इसलिए इसके द्वारा उद्घोषणा की जाती है कि **FIR No. 98/2019, U/s 25/27 A.Act & 506 IPC**, पुलिस थाना **जाफरपुर कलां, नई दिल्ली** के अभियुक्त **संदीप उर्फ सोनू** से अपेक्षा की जाती है कि वह इस न्यायालय के समक्ष (या मेरे समक्ष) उक्त परिवाद का उत्तर देने के लिए दिनांक **05.12.2026** को या इससे पहले हाजिर हो।

आदेशानुसार – श्री पंकज राय
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी–09, दक्षिण–पश्चिम
कमरा नं. 314, द्वारका कोर्ट, दिल्ली

DP/14457/DW/2026

डेल्टन केबल्स लिमिटेड

पंजी. कार्यालय: डेल्टन हाउस, बाटा रोड, नेब सेंट. 24, दरियागंज, नई दिल्ली–110002

वेबसाइट: U31300DL1964PLC004256 वेबसाइट: www.deltoncables.com, ई-मेल: secretarial@deltoncables.com फोन: 0120–4523000

भौतिक शेयरों के हस्तांतरण अनुरोधों को पुनः प्रस्तुत करने के लिए विशेष विंडो

सेबी के लिस्टिंग दायित्व एवं प्रकटीकरण आवश्यकता (विनियमन) 2015 के विनियम 40(9) के अनुपालन में तथा कंपनी द्वारा जारी दि 31 मार्च, 2026 के सूचनी सेबी कई प्रकाश दायित्वों एवं प्रकटीकरण आवश्यकता (संशोधन) विनियम, 2026 दि 06 अक्टूबर, 2026 के अनुपालन में तथा कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 56 और कंपनी (शेयरों का हस्तांतरण और निरसन) नियम, 2019 के नियम 40 के साथ पठित कंपनी (शेयर पूंजी का प्रबंधन) नियम, 2014 के नियम 9A के अनुपालन में, यह सूचना दी जाती है कि कंपनी के भौतिक शेयरों के हस्तांतरण के अनुरोध, जो 1 अप्रैल, 2019 से पहले कंपनी या उसके रजिस्ट्रार और शेयर ट्रांसफर एजेंट (आरटीए) को प्रस्तुत किए गए थे, लेकिन दस्तावेजों में कमियों के कारण वापस कर दिए गए थे या लंबित थे, उन्हें फिर से प्रस्तुत करने के लिए 6 महीने की विशेष विंडो खोली गई है।

इस विशेष विंडो के अंतर्गत शेयरधारकों द्वारा प्रतिभूतियों (धारण अपीलीय) नियम, 2018 के नियम 3(7) के अनुसार ही ट्रांसफर के दस्तावेजों की डिलीवरी के दावे की अधिसूचना अंतिम तारीख तक की जाएगी। इस अवधि के दौरान, सेबी के उक्त विनियमों का अनुपालन करते हुए डुप्लीकेट शेयर सर्टिफिकेट जारी करने के लिए कंपनी या उसके आरटीए को कोई अनुरोध प्राप्त नहीं हुआ है।

मुख्य बातें:

- शेयरधारकों को हस्तांतरण के लिए विशेष विंडो के अंतर्गत भौतिक शेयरों के हस्तांतरण के अनुरोध फिर से प्रस्तुत करने होंगे। ऐसे अनुरोध केवल तभी स्वीकार किए जाएंगे जब वे 1 अप्रैल, 2019 से पहले कंपनी या उसके आरटीए को प्रस्तुत किए गए थे, लेकिन दस्तावेजों में कमियों के कारण वापस कर दिए गए थे या लंबित थे।
- विशेष विंडो (जो संदर्भ दिनांक 06.10.2026 से शुरू होकर 05.04.2027 को समाप्त होगी) में प्रस्तुत किए गए हस्तांतरण अनुरोधों पर केवल दस्तावेज़ी प्रक्रिया पूरी होने के बाद ही विचार किया जाएगा।

डीमैटेरियलाइज्ड रूप में शेयर रखने के लाभों और भौतिक शेयरों के हस्तांतरण पर प्रतिबंध के बारे में शेयरधारकों को जागरूक करने के लिए, कंपनी ने 16 अक्टूबर, 2026 को एक जागरूकता अभियान भी शुरू किया है। इसमें शेयरधारकों को एसएमएस और ईमेल के माध्यम से सूचित करना शामिल है।

शेयरधारकों को सलाह दी जाती है कि वे अपने भौतिक शेयर को शीघ्र डीमैट में परिवर्तित करने के लिए, कृपया अपने डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट (डीपी) के साथ संपर्क करें। भौतिक शेयरों के हस्तांतरण के लिए, कृपया अपने आरटीए, मैसर्स अलंकित असाइनमेंट्स लिमिटेड, दिल्ली स्थित पता: रजिस्टर्ड ऑफिस: अलंकित हाउस, 4ई/2, जंसारी रोड, नई दिल्ली–110055, फोन: 011–42541234, ई-मेल: info@alankit.com से संपर्क करें।

- इस विशेष विंडो का लाभ उठाने के लिए, शेयरधारकों को अपने भौतिक शेयरों के हस्तांतरण के अनुरोध फिर से प्रस्तुत करने होंगे। ऐसे अनुरोध केवल तभी स्वीकार किए जाएंगे जब वे 1 अप्रैल, 2019 से पहले कंपनी या उसके आरटीए को प्रस्तुत किए गए थे, लेकिन दस्तावेजों में कमियों के कारण वापस कर दिए गए थे या लंबित थे।
- विशेष विंडो (जो संदर्भ दिनांक 06.10.2026 से शुरू होकर 05.04.2027 को समाप्त होगी) में प्रस्तुत किए गए हस्तांतरण अनुरोधों पर केवल दस्तावेज़ी प्रक्रिया पूरी होने के बाद ही विचार किया जाएगा।
- डीमैट अनुरोध–1: शेयरधारक जिनके शेयर भौतिक रूप में हैं और जो डीमैट खाता खोलना चाहते हैं, उन्हें डीपी के साथ एक डीमैट खाता खोलना होगा। फिर वे भौतिक शेयर डीपी को जमा करेंगे, जो उन्हें डीमैट रूप में परिवर्तित करने के लिए आरटीए को अनुरोध भेजेगा।
- डीमैट अनुरोध–2: शेयरधारक जिनके शेयर पहले से ही डीमैट रूप में हैं, वे अपने डीपी के माध्यम से हस्तांतरण के लिए आरटीए को अनुरोध भेज सकते हैं।

कृते डेल्टन केबल्स लिमिटेड
हस्ता./–
नीलेश चुघान
कंपनी सचिव एवं पूर्णा अधिकारी
सदस्यता संख्या: ए30240

दिनांक: 16 अक्टूबर, 2026
स्थान: फरीदाबाद

निगम ने किया कलाम स्मृति उत्सव का आयोजन

नई दिल्ली। भारत के पूर्व राष्ट्रपति एवं महान वैज्ञानिक डॉ. ए.पी.जे. अब्दुल कलाम को उनकी 95वीं जयंती पर याद करते हुए दिल्ली नगर निगम ने करोल बाग क्षेत्र में कलाम स्मृति उत्सव का आयोजन किया। जिसमें पौधारोपण, स्वच्छता अभियान, स्वास्थ्य शिविर एवं शैक्षणिक जैसी गतिविधियां आयोजित की गई।

निगम के अनुसार मध्य क्षेत्र द्वारा उत्सव के अंतर्गत अनेक सामाजिक, पर्यावरणीय, स्वास्थ्य एवं शैक्षणिक गतिविधियों का आयोजन किया गया। इस आयोजन का उद्देश्य डॉ. कलाम के विचारों एवं आदर्शों को जन-जन तक पहुंचाना, पर्यावरण संरक्षण के प्रति जागरूकता बढ़ाना, स्वच्छता को प्रोत्साहित करना तथा विद्यार्थियों के शैक्षणिक विकास को बढ़ावा देना रहा। जिसमें अजमल खान पार्क करोल बाग में पौधारोपण एवं स्वच्छता अभियान चलाया गया।

सड़कों को साफ-सुथरा बनाए रखने पर दिया जोर

उपराज्यपाल ने पुरानी दिल्ली में स्वच्छता व्यवस्था का किया निरीक्षण

हरिभूमि न्यूज ⏭ नई दिल्ली



दिल्ली के उपराज्यपाल तरनजीत सिंह संधू ने शुक्रवार सुबह पुरानी दिल्ली के क्षेत्र में साफ सफाई व्यवस्था का औचक निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने पुरानी दिल्ली के कई प्रमुख स्थलों का जायजा लिया गया। निरीक्षण के दौरान उपराज्यपाल ने लाल किले के पास बने ट्रिपल-आर केंद्र, चांदनी चौक के पेडेस्ट्रियन स्ट्रेच, विजय घाट कबूतर दाना स्थल और बेला रोड स्थित एकीकृत ट्रांजिट स्टेशन का दौरा कर सफाई की समीक्षा की।

उन्होंने पुरानी दिल्ली को दिल्ली की ऐतिहासिक, सांस्कृतिक और व्यावसायिक आत्मा बताते हुए अधिकारियों को कड़े निर्देश दिए गए। निरीक्षण के दौरान ठोस कचरा प्रबंधन की मजबूत करने, स्रोत पर ही गीले व सूखे कचरे के पृथक्करण को प्रभावी ढंग से लागू करने और सड़कों पर कलेरता से स्वच्छता बनाए रखने पर विशेष जोर दिया गया। उन्होंने कहा कि पुरानी दिल्ली की ऐतिहासिक विरासत का संरक्षण करने के साथ-साथ साफ-सुथरी सड़कें, बेहतर नागरिक सुविधाएं और एक टिकाऊ शहरी वातावरण तैयार करना बेहद जरूरी है। एक स्वच्छ, हरित और अधिक रहने योग्य पुरानी दिल्ली का निर्माण ही विकसित दिल्ली के सपने को साकार करने की दिशा में एक अहम कदम है।

'अपराध की खबर में सनसनी नहीं, संवेदनशीलता जरूरी'

नई दिल्ली। दिल्ली-एनसीआर में महिलाओं के खिलाफ बढ़ते अपराधों की घटनाओं ने एक बार फिर महिला सुरक्षा, प्रशासनिक जवाबदेही और मीडिया की भूमिका को लेकर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। इसी मुद्दे पर भारत के सर्वोच्च न्यायालय के निर्देशों के अनुपालन के संबंध में न्यायमूर्ति जे.बी. पारदीवाला की दिल्ली उच्चन्यायालय में वरिष्ठ मीडिया सलाहकार और अन्य वरिष्ठ अधिकारियों के बीच बैठक आयोजित की गई। बैठक में इस बात पर चर्चा हुई कि पीड़ित महिलाओं से जुड़ी घटनाओं की रिपोर्टिंग किस तरह जिम्मेदारी, संवेदनशीलता और तथ्यों की पुष्टि के साथ की जाए, ताकि पीड़ितों की निजता सुरक्षित रहे और जनता तक सही जानकारी भी पहुंचे। बैठक में सरकार की ओर से सीनियर एडवोकेट (सुप्रा) स्तोभ डी. तौरी (अतिरिक्त), रमेश (सुप्रा) स्तोभ डी. विवेक आनंद (अतिरिक्त), महिला एवं बाल विकास विभाग की जोनिय नेहिन सिंह व अन्य वरिष्ठ अधिकारियों ने भाग लिया। बैठक में कहा गया कि दुष्कर्म जैसी संवेदनशील घटनाओं को जल्दबाजी में 'सनसनीखेज' बनाकर प्रस्तुत न किया जाए। महिलाओं और बच्चों की सुरक्षा के लिए किए जा रहे उपायों, उपलब्ध सुरक्षा उपायों और सहायता तंत्र से संबंधित जानकारी आम लोगों तक पहुंचाने पर भी जोर दिया गया। साथ ही, सार्वजनिक और निजी परिवहन में महिलाओं की सुरक्षा तंत्र की समीक्षा/पुनर्गठन की आवश्यकता पर भी चर्चा हुई। बैठक में दिल्ली पुलिस कमिश्नर के अलावा दिल्ली महिला आयोग की अध्यक्ष स्वाति मालीवाल, दिल्ली पुलिस के संयुक्त आयुक्त (कानून एवं व्यवस्था) सहित अन्य वरिष्ठ अधिकारी भी मौजूद थे। इस दौरान दिल्ली महिला आयोग की अध्यक्ष स्वाति मालीवाल ने कहा कि अपराध की खबर में सनसनी नहीं, संवेदनशीलता जरूरी है।